न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर0ए0एस0)

अपील संख्या– 2021/142

रामस्वरूप पंचोली पुत्र स्वर्गीय विष्णुलाल जाति ब्राहम्ण निवासी 1187–बी, सुभाष नगर कोटा जिला कोटा(राज0)।

– अपीलांट

बनाम

1. चन्द्र शेखर पंचोली पुत्र रामस्वरूप पंचोली जाति ब्राहम्ण निवासी रेजोनेंस एडूवेन्चर लि0, झालावाड रोड सिटी मॉल के पास, कोटा जिला कोटा(राज0)।
2- विद्या सागर पंचोली पुत्र रामस्वरूप पंचोजी जाति ब्राहम्ण निवासी mews studio,21 Lawson Road, Broomhill Sheffield, 5205BV ENGLAND
3. मीनाक्षी पंचोली पुत्री रामस्वरूप पंचोली पत्नी चंदन कंधारी, जाति ब्राहम्ण निवासी 19–एमआईरोड जयंति मार्केट एक्सटेंशन, जयपुर
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद तहसील दीगोद जिला बून्दी(राज0)।

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–1. अजय श्रंगी– अधिवक्ता अपीलांट
2. दयाराम सैन– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. सत्यवीर सिंह चौहान–अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2
4. पैरोकार सरकार– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4

निर्णय दिनांक 27.02.2023

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा के प्रकरण संख्या 73/2016 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट की खातेदारी मे ग्राम खेडली तंवरान तहसील दीगोद मे खसरा संख्या 615 की रकबा 0.61 हैक्टेयर भूमि एवं खसरा संख्या 616 की रकबा 2.1 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 967/774 की 0.19 हैक्टेयर कुल किता तीन कुल रकबा 3.01 हैक्टेयर भूमि दर्ज चली आ रही है। उक्त वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात पुश्तैनी भूमि है जो प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट को विभाजन मे प्राप्त हुई है। इस कारण उक्त भूमि मे वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर–बराबर का हिस्सा है और वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रतिवादी संख्या 1 के साथ अपना नाम बतौर सहखातेदार के रूप मे दर्ज कराने के अधिकारी है। साथ ही साथ विभाजन कराकर वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपने हिस्से की भूमि को अलग खातेदारी मे दर्ज कराने का अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी की आराजी को वादी व प्रतिवादीगण मिलकर काश्त करते चले आ रहे है, और उक्त भूमि की काश्त से ही वादी व प्रतितवादीगण अपना जीविकोपार्जन करते चले आ रहे है। उक्त भूमि मे वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का जन्म से अधिकार है। प्रतिवादी संख्या 1 का वर्तमान मे मानसिक सन्तुलन ठीक नहीं है और आये दिन प्रतिवादी संख्या 3 के बहकावे मे आ रहे है और पैसों के लालच मे प्रतिवादी संख्या 1 को अपने वश मे लेकर अथवा कुछ प्रलोभन देकर प्रतिवादी संख्या 1 के खाते की भूमि जो वादी की पुश्तैनी भूमि है, को अपने नाम कराने अथवा रहन, बेचान करने पर आमादा है जिसका प्रतिवादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का शामलाती रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। दिनांक 05.05.2016 को वादी को ज्ञात हुआ है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 3 से मिलकर व षड़यंत्र कर उक्त भूमि को बेचान करने पर आमादा है। अन्त मे उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात मे अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को सहखातेदार घोषित किये जाने तथा प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का नाम बराबर–बराबर हिस्से से दर्ज किये जाने का निवेदन किया। साथ ही उक्त आराजीयात का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के मध्य विभाजन किया जाकर वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हिस्से की भूमि को अलग से खातेदारी मे दर्ज किये जाने का निवेदन किया । साथ ही प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया कि वह वादी के 1/4 हिस्से की भूमि से वादी को को बेदखल नहीं करें और न ही वादी के कब्जे काश्त मे व्यवधान पैदा करे साथ ही उक्त

आराजीयात को किसी प्रकार से रहन बेचान व अन्तरण, खुर्द–बुर्द, हस्तान्तरण आदि नहीं करे।

3. वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। पत्रावली दिनांक 29.06.2017 को लोक अदालत केम्प कोर्ट खेड़ली तंवरान मे रखी जाकर वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र लोक अदालत के तहत आंशिक स्वीकार किया गया तथा वादग्रस्त आराजीया तमे वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 प्रत्येक को बराबर–बराबर हिस्से का सहखातेदार घोषित किये जाने की निर्णय व अन्तिम डिक्री पारित की।

4. अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 29.06.2017 से असंतुष्ट होकर अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 प्रथम अपील न्यायालय हाजा मे मियाद बाहर प्रस्तुत की गई। मियाद के बिन्दु पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 स्वयं उपस्थित हुआ। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। दौराने बहस अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को बार–बार आवाज लगाये जाने के बावजूद अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 उपस्थित नही हुए।

5. अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनयम मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। न्यायहित मे अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ–पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपील मे हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

6. अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय

ने वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का वाद बाबत धारा 53, 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को मात्र खातेदारी घोषणा बाबत स्वीकार किये जाने मे त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की अनुपस्थिति मे अपीलांट को बिना सूचना दिये व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट की कोई तामील नहीं हुई है। वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से दिनांक 23.05.2016 को वादपत्र प्रस्तुत किया गया । प्रकरण प्रतिवादीगण की तामील मे विचाराधीन था। प्रतिवादीगण को नोटिस भी जारी नहीं किये। पत्रावली दिनांक 29.06.2017 को लोक अदालत कैम्प खेडली तंवरान मे रखी गई, जहां कोई भी प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुआ। प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति के बावजूद केवल मात्र वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कथन पर विश्वास कर वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र केवल घोषणा की सीमा तक स्वीकार किया जाकर सरसरी तोर पर डिक्री कर दिया जो खारिज किये जाने योग्य है। वादी रेस्पोडेन्ट सख्या 1 ने अपने वादपत्र मे अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के गलत पते अंकित किये जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं दिया । अन्त मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.2017 को खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

7. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 की ओर से खातेदारी घोषणा, बंटवारा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया गया। दिनांक 29.06.2017 को पत्रावली लोक अदालत मे रखी गई। लोक अदालत मे अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 व अन्य प्रतिवादीगण तथा वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार किये जाने मे कोई आपत्ति नहीं होना स्वीकार किया गया। वादपत्र को स्वीकार किये जाने की सहमति के रूप मे अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 29.06.2017 पर प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट व अन्य प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत के तहत उभय पक्षकारान की उपस्थिति मे उनकी सहमति से निर्णय पारित किया गया है जो विधि सम्मत होने से अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है। अपनी बहस के समर्थन मे अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2021(2) पेज 945 पेश किया। अन्त मे अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.2017 को यथावत रखे जाने की प्रार्थना की।

8. हमने उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्वक मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 27.05.2016 के अनुसार पत्रावली प्रतिवादीगण की तलबी मे विचाराधीन थी, तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 20.10.2016 नियत की गई। दिनांक 20.10.2016 से दिनांक 12.06.2017 तक की भिन्न–भिन्न तारीख पेशियों मे अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका मे कहीं भी प्रतिवादीगण की तामील होने का अंकन नहीं है। दिनांक 12.06.2017 की आदेशिका के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली लोक अदालत कैम्प मे रखे जाने का आदेश प्रदान किया जाकर आगामी तारीख पेशी 29.06. 2017 लोक अदालत की नियत की गई। दिनांक 12.06.2017 तक प्रतिवादीगण की तामील नहीं हुई थी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.06.2017 को पत्रावली लोक अदालत कैम्प मे नियत किये जाने की जानकारी प्रतिवादीगण को नही थी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे लोक अदालत हेतु नियत तारीख पेशी दिनांक 29.06.2017 के सम्मन–नोटिस भी संलग्न नहीं है, जिससे प्रतीत होता है कि लोक अदालत मे उपस्थित होने बाबत कोई सूचना–पत्र अथवा सम्मन नोटिस अपीलांट व अन्य प्रतिवादीगण को जारी नहीं किये गए। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 29.06.2017 मे अपीलांट रामस्वरूप के हस्ताक्षर भी उसके द्वारा न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत अपील मेमो मे रामस्वरूप किये गये हस्ताक्षर से मिलान होते प्रतीत नहीं होते है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण को नोटिस तामील नहीं हुए। लोक अदालत कैम्प खेड़ली तंवरान मे भी सभी पक्षकारान ने उपस्थित होकर लोक अदालत की भावना से कोई राजीनामा प्रस्तुत नहीं किया। लोक अदालत के तहत उन्ही प्रकरणो का निस्तारण किया जाता है जिनमे उभय पक्षकारान के मध्य विधिवत रूप से राजीनामा प्रस्तुत होता हो । हस्तगत प्रकरण मे उभय पक्षकारान न तो लोक अदालत मे उपस्थित हुए और न ही उनकी तरफ से कोई विधिवत राजीनामा प्रस्तुत हुआ है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत कैम्प में निर्णय पारित किया है। लोक अदालत मे केवल राजीनामा की भावना से सभी पक्षकारों की सहमति से विधिवत राजीनामा प्रस्तुत होने पर ही निर्णय पारित किये जाते है। प्रस्तुत प्रकरण मे न तो सभी पक्षकार लोक अदालत कैम्प–कोर्ट मे उपस्थित हुए तथा न ही उन्होने कोई विधिवत राजीनामा प्रस्तुत किया, अतः प्रश्नगत् निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.2017 विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है एवं निरस्त योग्य है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर पक्षकारान अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर दीगोद के प्रकरण संख्या 73/2016 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.2017 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, विधि सम्मत रूप से नवीन निर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय मे सुनवाई हेतु दिनांक 29.03.2023 को उपस्थित रहे।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 27.02.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा